

स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या: 1/सी०-1012/2016-सा०प्र०- 4663/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी /भागलपुर/ बौका/ मुजफ्फरपुर/नालंदा/गया/
पटना/जहानाबाद/पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ।

पटना—15, दिनांक: 20 अप्रैल, 2017

विषय:— 2015 बैच के भा०प्र०से० के पदाधिकारियों के व्यवसायिक कोर्स फेज-II में सम्मिलित होने के लिए पदाधिकारियों को विरमित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है 2015 के भा०प्र०से० के निम्नांकित पदाधिकारियों का व्यावसायिक पाठ्यक्रम चरण-II, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक—22.05.2017 से दिनांक—30.06.2017 तक आयोजित है—

1. श्री सुहर्ष भगत, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
2. श्री भावेश मिश्र, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, भागलपुर
3. श्री अमन समीर सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, बौका
4. श्री सावन कुमार, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर
5. श्री सज्जन आर, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, नालंदा
6. श्री प्रशांत कुमार सी एच सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, गया
7. सुश्री जे० प्रियदर्शिनी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, पटना
8. श्री घनश्याम मीणा, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, जहानाबाद
9. श्री मनेश कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, प०चंपारण, बेतिया

2. अतएव, उपर्युक्त पदाधिकारियों को संदर्भित पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु इस प्रकार विरमित किया जाना है कि वे दिनांक—21.05.2017 (रविवार) को निश्चित रूप से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में योगदान कर सकें ।

विश्वासभाजन
०५४/—
२०/४/१७
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक:— 1/सी०-1012/2016-सा०प्र०— 4663 /पटना—15, दिनांक: 20 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:— संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी—248 179 (उत्तराखण्ड) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

०५४/—
२०/४/१७
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:— 1/सी०-1012/2016-सा०प्र०— 4663 /पटना—15, दिनांक: 20 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:— महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

०५४/—
२०/४/१७
सरकार के अवर सचिव